

बाल एवं महिला श्रम - I अनुभाग

(सीएंडडब्ल्यूएल- I अनुभाग)

कार्य मर्दे

1. निरूपण, समन्वय और नीतियों का कार्यान्वयन और बाल श्रम से संबंधित कार्यक्रम।
2. विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से बाल श्रम की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना।
3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बाल श्रम से संबंधित विधान और कानूनी प्रावधानों की कार्यान्वयन और निगरानी।
4. बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का आयोजन और बाल श्रम से जुड़ी अन्य समितियां। बाल श्रम पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा बाल श्रम से जुड़ी अन्य समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदायन।
5. बाल श्रम पर नीति बनाने और उन्हें लागू करने हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ तालमेल कायम रखना।
6. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 बाल श्रम पर कानून।
7. राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का क्रियान्वयन।
8. बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति एवं उप समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना।
9. बालक (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

अन्य सूचना

अनुभाग का नाम: बाल एवं महिला श्रम - I

कमरा नं.: 229 'सी'

दूरभाष संख्या: ऑटो

23001158 : 2158

23001168 : 2168

चैनल के अधिकारी:

श्री डी.एस.एस.के. राव- अनुभाग

अधिकारी

सुश्री एस. राजलक्ष्मी - अनुभाग

अधिकारी

श्री एस.के. कपूर - अवर सचिव

श्रीमती हरजोत कौर - निदेशक

श्री शाहिद मीज़न - निदेशक

श्री एस.के. श्रीवास्तव - संयुक्त

सचिव

सचिव

www.labour.gov.in

पर भी जाएँ

<http://labour.gov.in>

[/cwl/ChildLabour.htm](http://labour.gov.in/cwl/ChildLabour.htm)

10. बाल श्रम - चाइल्ड लेबर एक्शन एंड सपोर्ट प्रोग्राम (सीएलएएसपी) पर आईएलओ सहायता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य।
11. भारत सरकार द्वारा उनके अनुसमर्थन के बाद बाल बाल श्रम पर आई.एल.ओ. कन्वेंशनों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
12. बाल श्रम के उन्मूलन (आईपीईसी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।
13. बाल श्रम के लाभ के लिए कल्याण उन्मुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता।

** ** *